

भारत सरकार, GOVT. OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान /CENTRAL HINDI TRAINING SUB-INSTITUTE (CHTSI)

(हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण/Hindi Typing/Stenography training,

केंद्रीय सदन, ए-विंग, 5वीं मंजिल, कोरमंगला दूसरा ब्लॉक, बेंगलूरु-34

Kendriya Sadan, A- Wing, 5th Floor, Koramangala II-Block, Bengaluru-34

दिनांक : 09-4-2015

सेवा में

संपर्क अधिकारी हिंदी/कार्यालयाध्यक्ष
भारत सरकार के कार्यालय/स्वायत्त संगठन/सांविधिक निकाय/
नियंत्रणाधीन निगम/उपक्रम/सार्वजनिक उद्यम /अभिकरण/बैंक आदि
बेंगलूरु

विषय : संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2015 में चलाए जाने वाले हिन्दी शब्द संसाधन/टंकण के अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम। - बेंगलूरु।

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उपसंस्थान, बेंगलूरु केंद्र पर वर्ष, 2015 में हिन्दी शब्द संसाधन/टंकण के अल्पकालिक (गहन) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने हैं, जिनकी समय-सारणी नीचे दी गई है।

हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण चूंकि वर्ष 2015 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, अतः आपसे यह अनुरोध है कि कर्मिकों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें।

क्र. सं	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण-अवधि	प्रशिक्षण की तिथियाँ
I	हिंदी टंकण/शब्द संसाधन	40 कार्य दिवस	03-06-2015 से 28-07-2015
II	हिंदी टंकण/शब्द संसाधन	40 कार्य दिवस	19-08-2015 से 15-10-2015
III	हिंदी टंकण/शब्द संसाधन	40 कार्य दिवस	16-10-2015 से 16-12-2015

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

पात्रता - केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिन्दी शब्द संसाधन/हिन्दी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिन्दी टंकण/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। हिन्दी में योग्यता - हिन्दी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिन्दी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि।

अनिवार्य -

1. सभी अंग्रेजी टंकण/अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूर संचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें ग्रुप "ग" के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके विभिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं।

स्वैच्छिक -

1. प्रवर श्रेणी लिपिकों (यू.डी.सी.), सहायकों तथा हिन्दी अनुवादकों जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को भी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के पश्चात हिन्दी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इन्हें भी नियमानुसार विभिन्न सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रस्कार दिए जाते हैं। (का.जा.सं.21034/76/2008-रा.भा.(प्रशि)/(i), दि. 3 दिस, 2008

i. छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 2.2.9 के अनुसार वर्ग "घ" कर्मिकों को वर्ग "ग" वेतन वर्ग में शामिल कर लिया गया है। चूंकि महामहिम राष्ट्रपति के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" कर्मिकों के लिए हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है, अतः राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन सं. 14034/30/2009-रा.भा.(प्रशि.) दि. 6/1/2010

----2

